प्रारंभिक परीक्षा

'केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य'

संदर्भ

डिजी केरल परियोजना के सफल समापन के बाद **केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है।**

केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित करने के मानदंड -

- **सर्वेक्षण कवरेज** - 83.46 लाख परिवारों के 1.5 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया गया।
- **अंतर की पहचान** - 21.88 लाख लोग डिजिटल रूप से निरक्षर पाए गए।
- **प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन - डिजी केरल परियोजना** के अंतर्गत 21.87 लाख लोगों (पहचान किए गए लोगों का 99.98%) ने सफलतापूर्वक डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण पूरा किया।
- **समावेशिता** - प्रशिक्षण में सभी स्थानीय निकायों (पंचायतों, नगर पालिकाओं, निगमों) को शामिल किया गया।
- **सत्यापन** - स्वतंत्र मूल्यांकन से यह सुनिश्चित हुआ कि प्रशिक्षण परिणाम प्राप्त हुए।

भारत में डिजिटल साक्षरता की स्थिति (2025 तक) -

- **केरल** - **पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य**।
- **अन्य राज्य** - विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रम मौजूद हैं (जैसे, डिजिटल साक्षरता अभियान (DISHA), राष्ट्रीय स्तर पर PMGDISHA), लेकिन किसी अन्य राज्य ने पूर्ण कवरेज की घोषणा नहीं की है।
- **राष्ट्रीय योजनाएँ** –
    - **PMGDISHA (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान) का लक्ष्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करना है।**
    - प्रत्येक ग्रामीण परिवार में एक व्यक्ति को कवर करने पर ध्यान केन्द्रित करना।
- **प्रगति** - आधिकारिक आंकड़ों (2023-24) के अनुसार, **PMGDISHA** के तहत 5.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन राज्यों में पहुंच असमान है।
- **चुनौतियाँ** –
    - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन।
    - उपकरणों और इंटरनेट तक पहुंच में लैंगिक अंतर।
    - दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का अभाव।

केरल की उपलब्धि यह दर्शाती है कि कैसे जमीनी स्तर पर, पंचायत स्तर पर हस्तक्षेप से डिजिटल साक्षरता को सार्वभौमिक बनाया जा सकता है, जबकि समग्र रूप से भारत अभी भी विस्तार के चरण में है।
स्रोत: द हिंदू

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022

संदर्भ

संसद में प्रस्तुत याचिका समिति की 163वीं रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कई कैंसर दवाएं मूल्य नियंत्रण से बाहर हैं।

कैंसर दवाएं और मूल्य नियंत्रण - (याचिका समिति, 163वीं रिपोर्ट, 2025) -

- **वर्तमान परिदृश्य:**
  - **कई कैंसर दवाएं औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (DPCO) के अंतर्गत नहीं आती हैं → कोई वैधानिक मूल्य सीमा नहीं।**
  - **मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत कैंसर रोधी दवाएं:** 2011 में 40 → 2022 में 63 (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022)।
- **प्रभाव:**
  - DPCO से बाहर रखे जाने के कारण कीमतें बहुत अधिक और अफोर्डेबल नहीं रहीं।
  - रोगियों के एक बड़े वर्ग की पहुंच सीमित हो जाती है।
- **समिति की सिफारिशें:**
  - **DPCO** के दायरे को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाकर कैंसर की दवाओं को शामिल किया जाए।
  - दवाओं की कीमतों और उपलब्धता के लिए नियमित बाजार मूल्यांकन किया जाए।
  - जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाए – **WHO GMP प्रमाणन** की कमी के कारण कई डॉक्टर इन्हें लिखने में हिचकते हैं।
  - नियामकीय देरी, अपर्याप्त घरेलू R&D और मूल्य निर्धारण बाधाओं को दूर कर नई कैंसर दवाओं तक पहुंच में सुधार किया जाए।
  - घरेलू अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए और नवीन ऑन्कोलॉजी थेरेपी के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहन दिया जाए।
  - नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और मूल्य-आधारित अनुमोदनों को प्राथमिकता दी जाए।
  - निजी क्षेत्र और फार्मा कंपनियों को उच्चस्तरीय ऑन्कोलॉजी अनुसंधान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)

संदर्भ

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने अंग प्रत्यारोपण में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिला रोगियों और मृतक दाताओं के परिजनों को अंग आवंटन में प्राथमिकता देने का निर्देश जारी किया है।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) -

- **अवलोकन:**
  - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन राष्ट्रीय स्तर का संगठन।
  - **मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार स्थापित।**
  - भारत में अंग और ऊतक दान और प्रत्यारोपण के समन्वय और नेटवर्किंग के लिए शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **मुख्य प्रभाग:**
  - राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण नेटवर्क
  - राष्ट्रीय जैव सामग्री केंद्र
- **प्रमुख कार्य और गतिविधियाँ:**
  - देश भर में सुरक्षित और समय पर अंग प्रत्यारोपण की सुविधा प्रदान करना।
  - अंग और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखना।
  - प्रत्यारोपण संबंधी कार्यों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल निर्धारित करना।
  - क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना।
  - राज्यों और क्षेत्रों से रजिस्ट्री डेटा संकलित और प्रकाशित करना।
  - जागरूकता और मृतक अंगदान पहलों को बढ़ावा देना।
  - अंतर-क्षेत्रीय स्थानांतरण सहित अंगों की प्राप्ति, आवंटन और प्रत्यारोपण का समन्वय करना।
  - प्रत्यारोपण में शामिल अस्पतालों, संगठनों और व्यक्तियों को जानकारी प्रसारित करना।
  - राज्यों में प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी करना और एक डेटा बैंक बनाए रखना।
  - डेटा प्रबंधन, प्रत्यारोपण निगरानी और दाता रजिस्ट्री में राज्यों की सहायता करना।
  - दान और प्रत्यारोपण के कानूनी और गैर-कानूनी पहलुओं पर परामर्श सहायता प्रदान करना।
  - स्वास्थ्य सेवा और प्रत्यारोपण कार्यकर्ताओं के विभिन्न संवर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

स्रोत: द हिंदू

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025

संदर्भ

प्रधानमंत्री ने ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने तथा समाज की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन मनी गेम्स को विनियमित करने के उद्देश्य से तैयार **ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025** का समर्थन किया।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 -

- **सामाजिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक नुकसान के कारण वास्तविक धन वाले गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया।**
- ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को सुरक्षित रूप से बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- **उद्देश्य:** कमजोर समूहों की रक्षा करना, जिम्मेदार गेमिंग को प्रोत्साहित करना और भारत के डिजिटल नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।

प्रमुख प्रावधान -

- **ई-स्पोर्ट्स:**
  - मजबूत विकास क्षमता वाले एक रचनात्मक, मनोरंजक उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त।
  - विधेयक के अंतर्गत मुख्यधारा क्षेत्र के रूप में समर्थन दिया गया।
- **ऑनलाइन सोशल गेम्स:**
  - सुरक्षित, गैर-मौद्रिक मनोरंजन के रूप में प्रोत्साहित किया गया।
  - जुआ खेलने की लत या वित्तीय जोखिम से मुक्त।
- **ऑनलाइन मनी गेम्स:**
  - **पूर्णतः प्रतिबंधित। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी और इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं।**
  - **उल्लंघन के लिए दंड:**
    - **पहली बार:** 3 वर्ष तक का कारावास + 1 करोड़ रुपये का जुर्माना।
    - **बार-बार अपराध करने पर:** 3-5 वर्ष का कारावास + 2 करोड़ रुपये का जुर्माना।

ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना -

- **गेमिंग क्षेत्र का समन्वय, विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए एक वैधानिक निकाय।**
- जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
  - वैध ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग उद्यमों का समर्थन करना।
  - हानिकारक प्रथाओं (धन शोधन, व्यसनकारी एल्गोरिदम, धोखाधड़ी) पर अंकुश लगाना।
  - सुरक्षित एवं टिकाऊ क्षेत्र विकास के लिए एकसमान कानूनी निगरानी प्रदान करना।

विधेयक का औचित्य -

- ऑनलाइन मनी गेमिंग से उत्पन्न होने वाले तात्कालिक मुद्दों का समाधान:
  - 31 महीनों में नशे की लत से जुड़ी 32 आत्महत्याएं।
  - परिवारों में बढ़ती वित्तीय परेशानी।
  - मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए असली पैसे के खेल का उपयोग।
  - मनोवैज्ञानिक विकार और शिकारी गेमिंग प्रथाएँ।
- राष्ट्रीय हित, परिवारों की सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़ा कानून बताया।

उद्योग की प्रतिक्रिया और चुनौतियाँ -

- वास्तविक धन वाले गेमिंग उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है; व्यापार प्रतिबंधों का हवाला देते हुए संवैधानिक चुनौतियों पर विचार किया जा सकता है।
- कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक संवैधानिक रूप से सही है, तथा जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित है।

भारत के डिजिटल भविष्य के लिए महत्व -

- **युवा:** नशे की लत और वित्तीय नुकसान से सुरक्षा।
- **उद्योग:** ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग स्टार्ट-अप के लिए वैधता और अवसरों को स्पष्ट करता है।
- **समाज:** धोखाधड़ी, धन शोधन और मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करता है।
- **शासन:** ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक समान, राष्ट्रीय नियामक ढांचा स्थापित किया गया है।
- यह डिजिटल मनोरंजन में एक वैश्विक कर्ता के रूप में भारत के विकास को प्रोत्साहित करता है, जो प्रस्तावित 2036 ओलंपिक जैसे भविष्य के खेल आयोजनों के साथ संरेखित है।

स्रोत: पीआईबी

सुपारी(Areca Nut)

संदर्भ

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपारी की खेती पर एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें स्वास्थ्य जोखिम, वायरल रोग से होने वाले नुकसान, अवैध आयात, किसानों को मुआवज़ा और प्रस्तावित वैज्ञानिक अध्ययनों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कर्नाटक के दौरे की भी घोषणा की गई।

सुपारी -

- **वानस्पतिक नाम: एरेका कैटेचू**
- **पौधे का प्रकार:** ताड़ का पेड़, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है।
- **उपयोग:**
    - कच्चा, सूखा या प्रसंस्कृत (आमतौर पर पान के पत्ते के साथ) चबाया जाता है।
    - कई एशियाई देशों में पारंपरिक चिकित्सा और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है।
- **भौगोलिक खेती:**
    - **प्रमुख उत्पादक**: भारत (केरल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु), बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश।
- **आर्थिक महत्व:**
    - लाखों छोटे और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करता है।
    - क्षेत्रीय व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण।
- **स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ:**
    - **समूह 1 कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत (मौखिक कैंसर से जुड़ा हुआ)।**
    - इससे **मौखिक सबम्यूकस फाइब्रोसिस**, मसूड़ों की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
- **कृषि चुनौतियाँ:**
    - वायरल और फंगल रोगों के प्रति संवेदनशील।
    - घरेलू किसानों को प्रभावित करने वाले अवैध आयात के अधीन।
- **सरकारी उपाय:**
    - खेती की प्रथाओं की निगरानी करना।
    - मुआवजे और स्वास्थ्य प्रभावों पर वैज्ञानिक अध्ययन पर विचार करना।

स्रोत: पीआईबी

SLINEX-2025

संदर्भ

भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने श्रीलंका-भारत नौसेना अभ्यास (**SLINEX**-25) के 12वें संस्करण में भाग लिया।

अभ्यास SLINEX -

- **अवलोकन:**
  - **भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसकी संकल्पना 2005 में की गई थी।**
  - दो दशकों से समुद्री सहयोग और द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को मजबूत किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालनशीलता को बढ़ाना।
  - समुद्री सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
  - संयुक्त रूप से बहुआयामी समुद्री संचालन करना।
- **पिछला संस्करण:**
  - 2024 में विशाखापत्तनम, भारत में आयोजित किया गया।
- **अभ्यास के चरण:**
  - **बंदरगाह चरण:**
    - पेशेवर बातचीत और विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (SMEE)।
    - श्रेष्ठ प्रथाओं का साझा करना, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम।
    - योग सत्र और खेल प्रतियोगिताएँ जैसी गतिविधियाँ।
  - **समुद्री चरण:**
    - नौसैनिक अभ्यास जिनमें गनरी फायरिंग, संचार प्रोटोकॉल, नेविगेशन, सिमैनशिप अभ्यास शामिल।
    - विजिट बोर्ड सर्च एंड सीज़र (VBSS) अभ्यास।
    - समुद्र में ईंधन भरने के अभ्यास।
- **महत्व:**
  - यह भारत और श्रीलंका के बीच गहरे समुद्री संबंधों को दर्शाता है।
  - **MAHASAGAR** नीति (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) के अनुरूप सहयोग को मजबूत करता है।

स्रोत: पीआईबी